

निर्णय  
3.2.2025

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
सुभाषचन्द्र बनाम जगदीश आदि  
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88,53 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 48 वर्ष 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
27.01.2025	वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के बाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 31.01.2025 को पेश हो।	
28.01.2025	वकील वादी ने प्रार्थना-पत्र मित्राल वेकीपेक करने पर प्रजावली को पेकी से लिया गया। गुरुवार फरिडेन 31 दिवस की वकील वादी मय 100 रुपये दायित अकार अकर शहीनामा पेश किया जिसे वाद तर्कीक शामिल कारिल किया गया। प्रजावली करते स्टेट प्रभाव अकार 100/15 31-01-2025 को पेश हो।	सुभाष फ.नि. पत्रावली Hannu Singh फ.नि. पत्रावली 100 me Casey M. J. by me Ravet Sar
31.01.2025	अहकाम नम्बर 48/2025/PU मय 31.01.2025 में प्रजावली से प्रभाव 100/15 दिनांक 3.2.2025 को पेश हो।	
03.02.2025	गुरुवार फरिडेन उपरिपत्र। वदर दुनी गरी। प्रजावली का अक्को कन बिना गीया प्रजावली पर 34 लच्छ रिकार्ड व वादी वकील वादी से राजनामा से आछार पर वाद वादी डिड्डी बिना जाता है। पूर्ण बिकरन सहित निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल कारिल किया जाने। प्रजावली नम्बर से कम की जाकर वाद तर्कीक तर्कीक जाकर दायित दफतर हो।	QR Code